श्री उपसभापित: स्नापकी बहस जारी रहेगी । अब स्राधे घंटे की बहस स्नारम्भ होगी ।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 601 GIVEN ON 11TH OCTOBER, 1982 REGARDING SETTING UP OF A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN U.P.

श्री शांति त्यांगी (उत्तर प्रदेश):
माननीय उपसभापति महोदयँ, यह ग्रच्छा
ही हुग्रा कि ग्रापने भाषा के कठिन प्रश्न
से सदन को यह मौका दिया कि जनता
की भलाई के ज्वलंत प्रश्नों पर हम लोग
विचार करें।

श्रीमन्, मैंने 12 जुलाई को श्रनस्टाई क्वेम्चन के जरिये माननीय न्याय मंत्री जी से यह पूछा था कि 'क्या सरकार पिष्चमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के सवाल पर बैठाये गये जसवन्त सिंह आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?"

श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी का उत्तर इस प्रकार का था;

"जसवंत सिंह श्रायोग का गठन 4 सितम्बर, 1981 को किया गया था और उसे 6 मास, के भीतर श्रपनी रिपोर्ट देनी थी । श्रायोग ने नवम्बर 1981 से प्रभावी हैंग से कार्य करना श्रारम कर दिया है । उसने फरवरी, 1983 तक समय बढ़ाये जाने की मांग की है क्योंकि उसे जो कार्य सौंपा गया है उसमें बहुत काम किया जाना है । यह तय किया गया है कि इसकी अवधि को 6 महीने के लिए श्रथीत् 3 सितम्बर 1982 तक बढ़ा दिया जाए जिससे कि वह श्रपना कार्य पूरा कर सके।"

मान्यवर, दूसरी बार मैंने 11 अक्तूबर को इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया था। उसमें मंत्री जी ने यह कहा, मैं कोट कर रहा हूं —

Discussion

जसवंत सिंह आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । उसका कार्यकाल 6 मास और बढ़ाकर 3 मार्च 1982 तक के लिए कर दियागया है।' यह मंत्री जी का उत्तर है।

श्रीमन्, सरवार ने जसबंत सिंह श्रायोग को दो दफे ऐक्सटेंगन दिया, 6 महीने का एक दफे श्रीर 6 महीने का श्रमी हाल में भी श्रीर मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि बड़े गूढ़ प्रश्न हैं जिनके ऊपर उनको इंबेस्टिगेशन करना है, जांच करनी है । लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से ऐसे मूल प्रश्न हैं, कौन सी बारीकियां, पेचीदिगियां कानून की हैं जिनके बारे में श्रायोग को इतना लम्बा समय दिया गया हैं, उसके कार्यकाल में इजाफा किया गया हैं, उसके कार्यकाल में इजाफा किया गया हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। इस लिए यह श्राधे चंटे की चर्चा कर विषय बना है।

मान्यवर, साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन का काम तो उनके सुपुर्द किया नहीं गया है, लेबोरेटरी में जायेंगे या यंत्र मंगाये जायेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। बहुत स्पेसिफाइड प्रक्रन था। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 मार्च को एक प्रस्ताव पास करके मंत्रि परिषद ने केन्द्रीय सरकार को भेजा था। प्रस्ताव बिलकुल श्राइने की तरह साफ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 डिबीजनों में हमारा यह बिचार है, हम चाहते हैं और सरकार का यह बिचार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, बेंच पश्चिम

[श्री शांति त्यागी]
में बनाई जाए, 6 डिवीजनों के लिए
स्थापित कर दी जाए श्रीर इस प्रस्ताव
में यह भी कहा गया है कि जिस जगह
बह स्थापित हो, इसका सेलेक्शन, चयन
हम नहीं करेंगे बल्कि केन्द्र सरकार खुद
करे श्रीर यह भी तय किया था कि
उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाई कोर्ट जहां
भी बने, उसकी इमारत के लिए, उसकी
साज सज्जा श्रीर सामान का खर्च हम
बहन करेंगे, यह भी कहा था। उसके बाद
ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव
केन्द्रीय सरकार को दिया था।

श्रीमन, यहां केन्द्रीय सरकार के सामने जब यह प्रश्न ग्राया तो खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कहना चाहिये. पश्चिमी उत्तरप्रदेश ग्रीर पर्वका सवाल नहीं, बाल्क पर प्रदेश की जन भावना है कि खंड पीठ की पश्चिम में स्थापना होनी चाहिये ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर लिटिगेशन का मुकदमों का जो भार है वह कम हो सके, मुकदमों का जल्दी फैसला हो, और लोगों को जल्दी न्याय मिले । चनाचे हमारे तत्कालीन न्याय मंत्री ने लोकसभा में यह किया था और घोषणा की कि सरकार को उत्तर प्रदेश की मंत्रि-परिषद का प्रस्ताव मिल चका है और बहत से और लोगों की भी मांग है इसलिये इलाहाबाद हाई कोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ, न्यायपीठ बैठाने पर सरकार विचार कर रही है या विचार करेगी । यह लोकसभा में माननीय तत्कालीन मंत्री ने कहा था । यह बात समझ में ग्राती थी कि जब सरकार ने घोषणा की तो सरकार ग्रपना निर्णय देती लेकिन केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लेने के बजाय, खुद निर्णय न लेने के बजाय कमीशन बैठाने का निर्णय ले लिया और इसीलिये इसकी घोषणा कर दी कि जसवन्त सिंह ग्रायोग मकर्रर करते हैं

भीर यह सन् 81, सितम्बर में किया गया । इससे बहुत निराशा हई, यह मुझे स्पष्ट कहना चाहिये । हमारे प्रदेश की, खासतीर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को भी, मजदूरों को भी शहरियों को भी इससे बड़ी निराशा हुई । वे इस बात की तरक्की करते थे कि कांग्रेस को मौजुदा सरकार से, माननीय इन्दिरा गांधी की सरकार से कि 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र बड़ा इम्पोटेंट है, माननीय मंत्री जी नोट कर लें, उसमें यह लिखा है। और यह किया भी जाना चाहिये कि साधारण जनता को पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सस्ता सूलम न्याय मिले । मैं समझता हूं मानतीय इन्दिरा गांधी ने जो 20 सुत्री कार्यक्रम में जो एक मुद्र रखा उनकी धारणा यही है कि यह न्याय गरीब लोगों को चाहे वह किसान हो, चाहे फैक्टरी का मजदूर हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो उनको ग्रपने दरवाजे पर मिले । दरवाजे का मतलब यह नहीं है कि गांवों में उनके घरों पर न्याय करने के लिए लोग जायें बल्कि हजारों मील दूर लोगों को न जाना पड़े । माननीय उपसभापति जो, एक वादकार लिटिगेंट को ग्रपील के लिये, जजमेंट के लिये, एक खेत मजदूर को उत्तरकाणी से सवा 9 किलोमीटर चलकर इलाहाबाद पहुंचना पड़ता है मज्जफर-नगर, सहारनपुर या देहरादून से सवा सात सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । अगर किसी हरिजन की जमीन को एलाटमेंट है श्रौर शक्तिशाली जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है जो जमीन बापस लेने के लिये रिट फाइल करने के लिये हाई कोर्ट में साढ़े सात सौ किलोमीटर चलकर मजफ्करनगर, सहारनपूर से वह बेचारा रात-दिन सफर करके न्याय के लिये रिट दायर करेगा। इसलिये यह प्रश्न उपस्थित हो गया है।

Discussion

इस कमीशन को टर्म भी बार-बार एक्सटेंड की जा चुकी है। 18 महीने हो गये कूल मिला कर । किसी ने बताया कि इस पर एक लाख रुपया महीना खर्च हो रहा है। 18 महीने में 18 लाख रुपये खर्च हो जायेंगे। केन्द्र सरकार यह निर्णय ले लेती तो 18 लाख रुपये से हाई कोटं की इमारत, न्याया-धीशों के लिये रिहायशी मकान भौर स्टाफ के लिये भी रिहायशी सकान और लाइब्रेरी भी वनकर तैयार हो जाती । लेकिन जसवंत सिंह आयोग को बराबर क फी रियायत दी जा रही है उसको पैसा देकर । इसमें तीन न्यायाधीश हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों का दौरा कर चुके हैं। आप को ताज्ज्ब होगा और हंसी भी अपिंगी सुनकर कि वह मसुरी भी हो अप्रिये हैं, हरिद्वार भी हो आये हैं, बनारस भी हो आये हैं, समझ नहीं आता कि यह तीर्थं यात्राही रही है या हाई कोर्ट बैंच की स्थापना के लिये कोई जायज ग्रीर उचित इंक्वायरी की जा रही है, यह बात समझ नहीं आती। यह भी सुना जा रहा है कि उनका अगला प्रोग्राम गोवा जाने का है, औरंगाबाद जाने का है, नागपूर जाने का है श्रीर उसके बाद रांची ग्रीर ताज्ज्व नहीं कि ग्राहिस्ता, ग्राहिस्ता ग्रंडेमान भी पहुंच जायें। तो यह तो इंक्वायरी नहीं हो रही है। यह भारत दर्शन हो रहा है और पूरे देश का भ्रमण किया जा रहा है। यह लाखों रुपया जिस काम में स्राना चाहिये उस काम में नहीं था रहा है। में यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह बहुत साधारण प्रश्न था। बहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों-मजदरों की यह मांग रही है। हाई कोर्ट में अपील के लिये और रिट के लिये, चाहे वह सिविल केसेज हों या किमिनल केसेज हों ग्राम ग्रादमियों को

इलाहाबाद जाना पड़ता है या ग्रव यह बड़े ब्रादिमयों का भी मामला नहीं रह गया है। साधारण आदमी को हाई कोर्ट में जाना पडता है। याज उत्तर प्रदेश की आबादी भी 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जिस समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित किया गया था उस वक्त उत्तर प्रदेश की आवादी कितनी थी, यह तो किताबों से भी मालम हो सकता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ गयी है। 28 नवम्बर, 1976 का एक सर्वे किया गया था ग्रीर यह सर्वे किसी प्राइवेट ग्रादमी ने नहीं किया था बल्कि सरकारी सर्वे किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि एक लाख 37 हजार और कुछ सौ कैसेज ऐसे हैं जो विचारा-धीन पड़े हुये हैं जिनके बारे में कुछ माल्म नहीं है कि कितने महीने या साल उनके फैसले होने में लगेंगे। ऐसी हालत में समझे में नहीं ब्राता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैच स्थापित करने में दिक्कत क्या आ रही है ? हमारे देश के जो अन्य प्रदेश हैं, जसे महाराष्ट् में ग्रीरंगाबाद ग्रीर नागपुर में बच है. आसाम में अगरतला, कोहिमा और इम्फाल में बैंच हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर ग्रीर इंदीर में बैंच हैं। विहार में रांची में बैंच हैं। राजस्थान में जयपुर में बच हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हाई कोर्ट की एक बैंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्चन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बार एसोशिएसन ने तीन महीनों तक मुकम्मल हड़ताल रखी। यह सन् 1981 की बात है। श्राजकल हर सटरडे को हर कोर्ट बन्द रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह मांग है कि [श्री शांति त्यागी]

327

फौरन वहां पर बैंच स्थापित की जाए। इस मांग को प्रदेश की जनता का भी समर्थन प्राप्त है। इस स्ट्राइक के पीछे हमारे अधिवक्ता और किसान सभी हैं। वहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है. विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है और मेमो-रेन्डम दिये ग्रीर इसकी सोलिडेरिटी में समर्थन दिया है। कुछ मट्ठी भर नोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन गये हैं बे ही इसका विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद में कुछ मुट्ठी भर लोग, 10-12 आदमी हैं जो 50-60 साल से वहां पर काम उनके बेटे और पोते जज बने हये हैं, वकील बने हये हैं श्रीर करोड़ों रुपया ऐंठ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरी जगह पर बैंच खले। हम कहते हैं कि ग्राप मेग्ठ या रामपुर कहीं : पर भी बैंच स्थापित कर दीजिये। कुछ मुठ्डो भर लोग इसका विरोध करते हैं ग्रौर कहते हैं कि इससे न्याय की गरिमा नष्ट हो जायेगी। यह उनकी थोथी दलील है। मैं यह कहना चाहता हं कि यह जो कमीशत काम कर रहा है, यह जो जसवन्त सिंह कमीशन है, इसको म्राप छट्टो दे दीजिये मौर मेहरवानी करके माननोया प्रधान मंत्रो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20-सूत्री कार्यक्रम में जो यह लक्ष्य दिया है कि देश का विकास करता, गरोब जनता को न्याय दिलाना. इसको आप पूरा कोजिये। गरीव आदमी को दो हजार मोल न्याय प्राप्त करने के लिये जाना पड़े, यह अच्छा नहीं है। गरीव ग्रादमी को न्याय ग्रास-पास में दिलाया जाना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करें ग्रीर न्याय मंत्री जी भीर हमारी सरकार इस मांग पर सहान्भृतिपूर्वक विचार करे।

विधि, न्याय ग्रीर कंपनी कार्य मंत्री (श्रो जास्ताय क शल'): मान्यवर, जी संवाल माननीय सदस्य ने उठाया है वह यह है कि यह सवाल सीधा था और हमको इस पर कमीशन नहीं विठानों चाहिये था। इसके मृतिल्लक मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच इतना सीधा सवाल होता तो हम कमीशन नहीं विठाते। लेकिन दो-तीन वातें हैं, जो मैं माननीय सदस्य की नोटिस में लाना चाहता हूं।

ला-कमीशन की शरू से एक राय रही है कि वह बेंचेज बनाने के हक में नहीं है। माननीय सदस्य ने खद मान लिया है कि शायद वह एक ही रीजन देते हैं स्त्रीर वह रोजन यह है। हाई कोर्ट की सीट के ब्रलावा कहीं बौर जगह बैंच बनाते हैं सो इंसाफ की, न्याय को गरिमा इतनी नहीं गहती। ला-कार्माणन ने यह बात कही है ग्रीर इसको ही चीफ जस्टिस की कांफ्रेस ने भी कहा है, चोफ जस्टिस ग्राफ इंडिया भी इसी व्य के हैं ग्रीर जो लोकल चीफ जस्टित है वे भी इसी व्यू के हैं। लेकिन उनकी राय के बावजद, क्योंकि यु पी० गवर्नमेंट ने यह मांग की है कि बेंच बनना चाहिये तो भारत सरकार ने वजाय उन सबकी राय को रदद करके यह मनासिव समझा कि इस मामले की जांच कर ली जाय और अगर इसमें लोगों का फायदा है, अगर लोगों को इंसाफ मिलने में सहलियत होती है, अगर इंसाफ ठीक मिलता है तो सरकार को यह बात मान लेनी चाहिये। तो यह सब बातें सोचने के बाद कमीशन बना था। बाकी मैं अपने तजर्बे से एक-दो बात आपको बताना चाहता हं। बिहार में भी एकक रांची बेंच बना था। मैं भी विहार में था। मैं रांची बैंच देखने गया। जो दिक्कत ग्राम लोग बताया करते हैं वह दिक्कत भी मैंने वहां महसूस की । मैं मेंबर्स से मिला ग्रीर बार के मेंबर्स से

दूसरा सवाल यह था कि जज साहैबान भी मेन सीट ग्राफ हाई कोर्ट छोड़कर
जो बेंच की सीट्स हैं वहां जाना बहुत कम
पसन्द करते क्योंकि उनकी वहां इतनी
सुविधा नहीं मिलती जितनी सुविधा
सीट ग्राफ जस्टिस में है। माननीय
सदस्य ने यह सवाल किया है कि ये
लोग मोवा, नागपुर, रांची की यादा
पर क्यों जा रहे हैं। कमीणन ने
इसलिये वहां जाना शुरू किया कि जहां
जहां बैंचेज फंक्शन कर रही हैं, वहां
जाकर बैंचेज की स्थित देखी जाये कि
जहां-जहां बेंचेज बने हुये भी हैं,
ग्रामा उससे लोग संतुष्ट हैं, ग्रामा जिस

किस्म का इंसाफ लोगों को मिलता चाहिये उनको उन तरह का इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। सो उनकी मंगा भारत दर्शन करने की नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वे भारत दर्शन के लिये जा नहें हैं तो वे भारत दर्शन के लिये नहीं जा रहे हैं, वह यह पता लगाने के लिये जा रहे हैं कि जहां-गहां बैंचेज आलरेडी मौजूद हैं, वहां बैंचेज की स्थिति क्या है।

बाकी दूसरी बात मैं आपको वताने जा रहा हं कि अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया था और गोवा में हमने वेंच बनाई है। गोवा की बेंच की स्थापना होने जा रही है। चीफ जास्टिस साहव जा रहे हैं स्पीर मैं भी जाऊंगा। गोवा की इतनी जबरदस्त मांग थी बेंच बनाने की श्रौर हमको यह फैसला किये हए भी कई महीने हो गये लेकिन पहले वहां की सरकार कह देती है कि हमारे पास सब साधन हैं जब सचम्च बेंच बनाने का फैसला किया गया तो न सरकार के पास काम-की बिल्डिंग निकली न सरकार के पास जजेज को ठहराने के लिये काम की जगह निकली तो फिर हमको वह काम ग्रौर डिले करना पड़ा ग्रीर गोवा सरकार की मिन्नत-गजारी कर के ग्रव वेंच स्थापित होने जा रहा है। तो यह दिवकत भी होती है। हर सरकार कहती है कि हम सब साधन दे देंगे लेकिन साधन देने में काफी तकलीफ होती है। कहने ग्रीर करने में बहुत फर्क है। इसी तरह से दूसरा बेंच है ग्रीरंगाबाद में। हालांकि ग्रीरंगा-बाद में टैम्पोरेरी बेंच फंक्शन कर रहा था लेकिन वहां पर परमानेंट बेंच दिया है ग्रीर परमानेंट बेंच ग्रीर टेम्परेरी बेंच में फर्क है। टैम्पोरेरी बेंच की तादाद दो भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, परमानेंट बेंच की तादाद पांच की होगी, सात की होगी। इस वेंच के लिये

श्री जगन्नाथ कौशल] लगातार लोग कह रहे थे कि हमारे पास सब साधन मौजूद है लेकिन जब हम ने ग्रपने डिप्टी सेकेटरी ग्रीर ज्वाइंट सेकेटरी को भेजा तो उन्होंने वहां जा कर देखा कि सब चीज जो वह कह रहे हैं वह नहीं है वहां पर जजेज जाने के लिये तैयार नहीं है वहां पर वे साधन नहीं है। तो मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाना चाहता हं कि जसवंत सिंह कमी-शन जान बझ कर के देरी नहीं कर रहा है। जसवंत सिंह कमीशन ने कुछ लोगों को मिल भी डिस्टिक्टस के लिया है और ज्यादा नहीं तो हजार ग्रादमी उनके सामने पेश हुए हैं। हुर ग्रादमी ग्रपनी-ग्रपनी बात कहता है। कमीशन तो बात सुनने के बाद फैसला करेगा। तभी कोई फैसला करेंगे। कमीशन के फैसला करने मैं फर्क होता है जब हम भी चाहते है कि यह सांग सिफं उत्तर प्रदेश की नहीं है यह बहुत से प्रान्तों की मांग है। हम को भी बैंचेज मिलने चाहिये। तो यह कमीशन जो बैठा है उससे कह सकते है। हमको बाकी जो भी निर्णंय लेना होगा उसमें भी ग्रासानी होगी। बाकी जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कहीं है कि एक लाख रूपये महीने का खर्च है वह तो मैं नहीं मानता लेकिन 55 हजार रुपये महीने का खर्च तो है। वह खर्च हम को करना पहता है क्योंकि उस खर्च का कोई इलाज नहीं है। तीन उसके मैम्बर है, उसका स्टाफ भी होता है उनको अपनी कार्यवाही भी करनी है तो म समझता ਭੌਂ. . .

श्रो सत्यपाल मिलिकः (उत्तरप्रदेश)ः इस रूपवे में तो लाइवरी बन जाती।

श्री जगुरनाथ क्रौशल : लेकिन फैसला करने में हमारी कठिनाई जो है वह श्राप

सब लोग समझते है। लेकिन जब मांग खड़ी होती है तो लोग समझते है कि फौरन मान लेना चाहिये जैसे मैने कहा कि यह मांग एक जगह नहीं है। कोशिश हमारी यह है कि जहां सहलियत के साथ यह बात हो सके वहां कर देनी चाहिये ग्रौर मैं यकीन दिलाना चाहता हं कि जसवंत सिंह कमीशन द्वारा जानबझ कर लम्बा नहीं किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी रिपोर्ट इस ग्रसें में ग्रा जायेगी । उन्होंने एक साल के एक्सटेशन के लिये लिखा है लेकिन हमने उनको 6 महीने का एक्स-टेंशन दी है ताकि वे कार्यवाही परी कर सकें। ग्रव हम ग्राशा करते है कि वह ग्रपनी कार्यवाही परी कर के रिपोर्ट पेश कर देंगे ग्रीर उस रिपोर्ट को कन-सीडर करने के वाद जो सही निर्णय होगा जो लोगों के फायदे में होगा क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि लोगों को इन्साफ मिलना चाहिये, कम से कम समय में श्रीर सस्ता मिलना चाहिये लेकिन साथ यह भी है कि तर्जबा भी कहता है कि सस्ता ग्रौर सही इन्साफ मिलने में जब लोग देखते है कि यहां तो ग्रसली बात नहीं रही तो लोग समझते है कि अदालते बैठाने से क्या फायदा । इसलिये हम को ठीक न्याय भी देना है। इसलिये सारी बातें सोच कर के फैसला किया जायेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हं कि कमीशन की मंशा लम्बा करने की नहीं है तो यह रिपोर्ट या जायेगी उसके ब्राधार पर फैसला किया जायेगा।

श्री शिव चन्द्र झा: (विहार): उपसभा-पति महोदय, यह जो मांग है वस्टर्न यू॰पी॰ में एक अलग बैंच बैठाया जाए यह विलकुल जायज है। वहां ही नहीं बिल्क और इंटीरियर में बेंच बैठे इसके लिये कमींशन बहाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जसवंत सिंह कमीशन ग्रापने बहाल किया है यह पैसे का दुरू-पयोग है। वहां मकान है कि नहीं, बेंच है कि नहीं, जमीन है या नहीं, इसकी जांच यदि करनी थी तो बात ठीक है।

लेकिन जैसा श्रापने भी कहा कि न्याय सस्ता हो, एक्सेसीबुल हो, जनता के पास पहुंचे यह दर्शन यदि हम कबूल करते है तो वैस्टर्न यू० पी० में ही नहीं बल्कि हर जगह मोबाइल कोर्ट भी बनाये...

**श्री उ<sup>प्</sup>समा<sup>प</sup>तिः** वह सवाल नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा: इसी से संब-धित है। श्रभी उन्होंने बताया कि मोबा-इल कोर्ट भी बने तो क्या इसके मुत्तालिक कार्यक्रम है?

दूसरी बात श्रापकी सेपरेट बेंचे बनती है, लेकिन श्रापकी पंचायतों भी तो है उसका भी एक कांस्टीटयुशनल रूप है, एडिमिनिस्ट्रेटिव रूप है तो यदि उसको जुडीशियल पावर दे दें तो और भी न्याय नजदीक पहुंचेगा, गांव में जनता के पास पहुंचेगा।

तीसरा मेरा सवाल है अभी जिस रूप में है, चाहे यूं० पी० का कोर्ट हो या जहां का हो. यह वात निविवाद है तो बहुत लम्बे असे से केसेंज पड़े हुए है। आज भी अखबार में मैंने देखा कि बिहार में 30 साल से आदमी जेल में है। तो ऐसे केसेंज है जो बीस साल, तीस-तीस साल से पड़े हैं प्रातः उनको एक्स-पेडाइट करने के लिए क्या आपके पास कोई कार्यक्रम हैं।

ं आखिरी भवाल, जनतंत्र में आप विश्वास करते है, जनतंत्र के लिये ही यह सदन है, हमारा जनतंत्र कमिटेड है। जनतंत्र का दर्शन कहता है कि जितना ज्यादा डेमोकेटिश कर सके उतना अच्छा है। कहने का मलतव है जुडीशियरी, जजेज इलेक्टेड हों। यह बात मैंने पहले भी उठाई थी कि जजेज इलक्टेड हों। इसके लिये संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो तो भी करे। दुनिया में इले-क्टेड जजेज है। मैंने पहले भी कहा था। तो यह व्यवस्था चलायेंगे कि नहीं।

Discussion

श्री उपसमापितः श्री धावे कृपया इसी के बारें में रखे व्यापक मत बनाये।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, the Jaswant Commission was appointed because there were a number of demands from U.P. and at different places to allo-" cate benches. Sir, I am surprised to hear the reply of the hon. Minister; He does not believe, it seems, to give cheap justice . to people and justice at their doors. Why should not there be benches? 'The quality of the judgment is much higher at the seat of a High Court is not borne out by facts. On the other hand today the position is that for the last many years' many matters are considered by the Supreme Court, High Court like labour legislations, rent Control etc. which are settled by judicial decision. There are few matters where judgment requires a larger bench. - In fact, I am coming from Nagpur where bench is located, and it has a good building and library and everything. Many Matters aie decided already by the High Court or the Supreme Court so there is no difficulty in functioning of a Bench. Whenever a question comes, a largetr bench is formed, the Chief Justice .cornes, there and justice is given to the people from Vidarbha area. This has been followed in Aurangabad. What is the Goa territory? tn Goa territory, even a District Judge's court is sufficient. We have, accepted to have -a bench in Goa. Maharashtra is very small as compared to U.P. Now, I would like the hon. Minister to clarify whether, as the news is, the Chief Justice has consented. Probably you have consented to have a bench at Poona, IOO miles from

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

335

Bombay. The demand is also from Kolhapur. Sir, unless there is decentralisation, you can never give justice (o the poor people. (Time rings). The Supreme Court is the constlter court of law in the world. Why should not there be decentralisation of Judiciary. In fact there should be Supreme Court Benches at places like Banglore in South and Nagpur in Central India. Therefore, when you are having five Benches in Maharashtra, why aren't you allowing a State U.P. to have benches? Therefore, the policy of administration requires changes. The Law Commissions word is not the last word on the subject. That has become out of date. People are now craving for justice. And in those circumstances, you require not only one Bench at Meerut but in other places also. Sir, may I know why the hon. Minister is making a distinction between UP and other States for granting Benches of the High Courts?

श्री सत्वपाल मलिक : मान्यवर. माननीय मंत्री जी की जो दलील थी, वह बहुत लचर दलील थी। अगर सिर्फ यह मान लिया जाए कि हमें जमीन और मकान भौर लाएबिल्टी की वजह से बढिया किरम का न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं पुरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता ह कि मैं भाई गांति त्यागी यह जिम्मेदारी खेने के लिये तैयार है कि सरकार धगर दिवालिया हो गई हो, तो मेरठ के बेंच की स्थापना के लिये जो खर्च ग्राएगा, हम जनता से इकटठा करके देंगे और यह मुजफरनगर के लोगों ने कहा कि जमीन ग्रीर बिल्डिंग हम देने के लिये तैयार हैं। ग्रलग ग्रलग जिलों में लोग तैयार थे खर्चा देने के लिये। यह विल्कुल लचर दलील है।

भाप पन्द्रह सौ करोड़ का एशियाड के लिए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हाई कीर्ट की बेंच नहीं खोल सकते हैं । अध्यकी इस बात को समझने वाला कोई नहीं है।

जजों के लिये मेरठ कोई ऐसा खराव शहर नहीं है, आगरा खराब शहर नहीं है, देहरादन खराब शहर नहीं है, दिल्ली के नजदीक है, बेहतरीन जिंदगी भी मिलेगी यह कोई तर्क नहीं है। और कूल मिला-कर, मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच देने के लिये किसी ग्रन्नलमंद ग्रादमी के पास कोई लाजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। सिर्फ नियत का सवाल है। ग्रापने इसके पहले कई सबों में बेंच दिये. कोई कमीशन नहीं बिठाया गना है।

दीखता यह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सौर पर उत्तर प्रदेश इकटठा अपको सुट करता है आप यह जानते है कि 1857 में जो हम लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने गदर में हिस्सा लिया, उससे आज तक हम लोगों को सजा मिल रही है और मान्यवर, मैं ब्रापके जरिए सरकार को चेतावनी देना चहता हं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि बेंच की बात को छोडा जाए अब पुरे बंटबारे की मांग करनी पडेगी।

इलाहाबाद जाइये, लखनऊ जाइये, जाते-जाते मौसम बदल जाता है तापमन बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है, लिबास वदल जाता है। इसहाबाद और सखनक का रिक्शा वाला जब हमको देखता है तो जिल जगह पर वहां वहां के लोगों से भठनी सेता है, तो हमसे दो रुपये मांगता है। बकील हमसे ज्यादा मेहन-ताना मांगता है।

सरकारी दपतरों में हमारे डायलैंट हमारी भाषा को समझने वाला कोई नहीं। यह फीलिंग आइस्ता आइस्ता सेज हो

रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हं कि उत्तर प्रदेश जिसकी यह फन्न है कि परे देश की तरह यह सुबा चलता है ग्रीर जिस सुबे में मुमकिन हुआ कि बंगाल कि स्बेता कुपालानी चीफ मिनिस्टर बनीं, उस सुबे को वर्बाद होने से वचाने का एक ही रास्ता है कि उस सुबे मे जो इस तरह की भावना घर कर रही है. उसका रास्ता यह है कि ग्राप जल्दी जो एक बिल्कूल अध्यज मांग है, उतको विना कमीशन विठाये मानते, तो बेहतर था। कमीशन की जो चाहे फाइंडिंग्स हों, श्रापको उसको मान लेना चाहिए।

दसरी बात मैं यह कहना चाहता हं कि प्रशासनिक कामों की ज्यादती कि जिक्र करते हुए मझकों एक डर सिर्फ यह लगता है कि जो इलाहाबाद के वकील हैं वे, बहुत वा ग्रसर लोग हैं। ग्रगर मैं गलत हं सो मैं चाहंगा कि मझको मंत्री महोदय सही कर दें। वे लोग जब प्रधान-मंत्री जी से मिलने आये और उनसे मिल करके वापिस गये, तो वे लोग संतष्ट लगते थे। ऐसा उनके प्रतिनिधि मंहत ने प्रेस को कहा था। मेरी यह जानकारी है ग्रीर ग्रगर यह बात है, तो यह खतर-नाक बात है।

मैं मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहुंगा कि ग्रगर यह कमीशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की राय देगा, तो करा यह आपके ऊपर बाइंडिंग होगा, श्राप इसनी मानेगे, या नहीं ? यह सो मेग प्रक्न है?

मेरा सुझाव यह है कि जब तक कभीशन कोई स्पिट दे उत्तर प्रदेश को बचाने के लिये यह जरूरी है कि आप इत लोगों की मांग माने । मैं अपीर मेरी भर्टी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के हामी

हैं, लेकिन मैं उस बात को इस बक्त नहीं उठा रहा । इस वक्त आपके हाथ में है कि आप कमीशन की बात को एक तरफ करके जल्दी से जल्दी इस मांग को माने, ताकि लोगों को दरवाजे पर न्याय मिल सहै, अच्छा न्याय मिल सहै ताकि उनकी यह शिकायत खत्म हो ।

## बहत-बहत धन्यवाद ।

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I only wish, to strike an anticipatory note of caution for consideration by the hon. Minister. We have entered new phase in the judicial history of India, the phase of public interest litigation. In this particular phase, the law has started developing too fast and one hon. Judge of the Supreme Court said that we are facing an acclerating process of development of law, purpose of the present discussion and the note that I wish to strike, I refer to two particular steps which the Supreme Court has taken in the development of law in the last one year. In 1981, some people went to the Supreme Court with, the claim that right to fair justice is a part of their fundamental right and, therefore, they have a right to file a writ petition challenging various appointments of the High Court judges. This writ petition was entertained by the Supreme Court. although on facts, it was dismissed.

The next step has been taken only last month when another pesson has gone to the Supreme Court with the claim that right to speedy justice is also a part of his fundamental right and, therefore, the alleged delay in the appointment of the High Court judge<sub>s</sub> should be looked into by the Supreme Court. The Supreme Court has entertained that petition and as we read from the newspapers, there are directions ^o the Government that it should come forward with various details regarding the pending appointments.

So my feeling is that some enterprising lawyer or litigant may take the third Step and invoke the jurisdiction of the Supreme

## [Shri Madan Bhatia]

339

Court by saying that easy access to justice is also a part of his fundamental right and if he goes to the Supreme Court by invoking this right, namely, easy access to justice being a part of his fundamental right, then I am afraid, the hon. Minister will have to deal with this question on Constitutional level in the Supreme Court. This fact, I respectfully submit, should t>e kept in mind by the hon. Minister.

I would only like to say that this is not a problem which has faced only India. Thi<sub>s</sub> is a problem which has arisen even in the United States of America, and it has faced even the Great Britain. With regard to America, I would like to read the opinion expressed by a famou<sub>s</sub> jurist, Louis Mayers in the book. American Legal System, and he says;

"In the organisation of appelate courts, two distinct objectives are present, the demands of which are not easy to reconcile. It should be possible to subject the determination reached in a court of original jurisdication to speedy and inexpensive justice a desideratum which calls for appellate courts at convenient places and in a number sufficient promptly and finally to dispose 1 .of appeals presented to them. On the other hand, since it is only in appellate proceedings that the rules of law are authoritatively laid down and statutes authoritatively construed, it is desirable that there be only a single appellate court in each legal system, whether federal or State to make such ?urhori-tative pronouncements."

In the Great Britain also, as I understand^—the hon. Minister can correct me by" checking if I am wrong—Royal Commission was appointed and gave a report 1966—1969 in which the Royal Commission dealt with the question of the appellate courts holding its sittings at places other than London. Now, in the latest judgment, the judgment 'has not come I think; the hon. Minister may also consider whether there is a possibility of solution in the distinction which the Supreme Court has made between the Per\* UMnent^bfjich'jof the Supreme Court and

the sittings of the various divisions of the High Courts at different places. This distinction has been made by the Supreme Court in the Aurangabad Case although the final judgment has not come; but the operative part of the judgment has been announced and while making this distinction, the Supreme Court has said that it is the inherent power of the Chief Justice to decide where the division of the High Court will sit for convenient disposal of the cases.

श्रो जगन्नाथ कौशल : जिन माननीय सदस्यों ने इस डिसकशन में भाग लिया है मैं उन का आभारी हं। उन्होंने कई जरूरी वातों की तरफ ध्यान दिलाया है, लेकिन कई बाते ऐसी है जिन का ताल्ल्क दरग्रसल इस डिसक्शन से नहीं है। जैसे झा साहब ने मोबाइल कोटस ग्रीर पंचायत कोटस का जिन्न किया। तो मैं समझता हूं कि यह कमीशन तो सिर्फ इस लिये बैठा है कि ग्राधा हाई कोर्ट की कुछ बेंचे वहां वेस्टनं य0 पी0 में होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये और अगर होनी चाहिये तो कहां होनी चाहिये । तो पंचायत कोट्स या मोबाइल कोट्स के मामले कई बार झा साहब ने उठाये है और वह लगातार उठाते रहे हैं। उन को हम किसी ग्रौर प्रापर आकंजन पर डिस्कस करेगे ।

एक सवाल और है जिस के वह बहुत दिलदादा है और वह यह है कि एलेक्टेड जजेज होने चाहिये और उस पर भी किसी वक्त डिबेट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हम को कोशिश करनी चाहिये कि जो सवाल इस वक्त हमारे सामने है हम उसी पर रहे। हाफ ऐन आवर डिस्केशन सिर्फ इस लिये हो रहा है कि जसवंत सिंह कमीशन देर क्यों कर रहा है। बाकी दूसरे सवाल जो दूसरे काबिल दोस्तों ने उठाए है कि हम चन्दा इकट्टा कर के भी अदालतों को बना

देंगे, कमीशन बैठाना ही नहीं चाहिये (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा: मेरा प्वाइंट आफ आईर है। इस का इंटरप्रेटेशन आना चाहिये। आप को इस बारे में एक डायेनेमिक ब्यू लेना होगा। एक सवाल रखा गया, छोड़ा गया, और उस के डि-स्कशन में बहुत से दर्शन सामने आते हैं तो हम को उन सब पर विचार करना चाहिए।

श्री उपसमापित : वह कह तो रहे हैं कि जब ग्रवसर होगा तो उन पर भी विचार करेंगे।

श्री जगन्नाथ कौशलः एक काविल दोस्त ने पछा है कि जो कमीणन की राय ग्रायेगी क्या वह हम पर वाईडिंग होगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हं कि किसी कमीशन की रिपोर्ट गवनमें पर कभी बाइडिंग नहीं होती। कमीशन की रिपोर्ट को एक्जामिन किया जायेगा और कमीशन की रिपोर्ट की कद्र की जायेगी। उसकी रेसपेक्ट की जायगी और उसके बाद निर्णय लिया जायेगा । बाकी भाटिया साहब ने तो बहुत फंडामेंटल सवाल उठायें हैं। वह सवाल है कि कोर्ट्स का डिवी-जन का क्या मलतब है, अमरीका में क्या महसूस हो रहा है 🗢 इंग्लैण्ड में क्या महसूस हो रहा है, तो इन सब के मताल्विक मैं उन का ग्राभार मानता है, लेकिन मैं समझता हं कि उसके मुताल्लिक भी मझे सरेदस्त कुछ कहना नहीं है क्योंकि उसका ताल्लक भी जो मसला हमारे सामने है उससे नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट जेल्द ग्राना चाहिए।

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported recent incidents of firing and Latbi Charge on Santhal\* in Bihar resulting in death of some tribals and Adivasis—Contd.

भी अशिवनी कुमार: (विहार): मान-नीय उपसभापति महोदय, संथाल परगने के अंदर पालाजोरी इलाके में 7 तारीख को जो दुर्घटना हुई उस के ऊपर आज सदन में चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय ने ग्रपना वक्तव्य दिया है । उस में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि वहां पर गये हए लोगों की भ्रांखों देखे वर्णन से बहत भिन्न हैं। परन्तु आज मैं इतना ही कहना चाहता हं केन्द्रीय सरकार को कि बिहार के श्रंदर एक श्रोर श्राज श्रकाल है ग्रौर दूसरी ग्रोर बाढ है। स्थिति भयानक है । 14 जिले करीब सखाड से प्रभावित हैं और 1.9 जिलों में बाढ है। हमारे मिल उस तरफ से कह रहे थे कि 1967 और 71 में सुखाड़ हथा था। जहां तक मेरा अनुभव है 1967 का सुखाड़ सब से बड़ा था, लेकिन यह सुखाड उस से बड़ा होने जा रहा है। यह इतना बड़ा ड़ाउट होगा कि ग्रगर ग्रभी से ग्राप ने उस ग्रोर ध्यान नहीं दिया तो यह पालाजोरी की एक घटना हई है, इस प्रकार की घटनायें सरकार को हर ब्लाक में करने की ग्रावश्यकता ग्रा सकती है कि लोग रोटी मागने ग्रायें श्रीर सरकार उनको गोलियां दें। सरकार के खद के ग्रांकड़े है, बिहार सरकार के. कि 587 व्लाक्स में से 200 ब्लाक प्रखंड ऐसे है जहां लगभग 80 प्रतिशत श्रावादी रहती है। वहां की फसल लगभग नष्ट हो गई है। कभी वह 20 प्रतिज्ञत कहते हैं, कभी 25 प्रतिशत कहते है कि फसल बची है। लेकिन 70-80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। किन्त आज भी विद्वार सरकार उस ग्रोर ध्यान देने में